प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। इसमें वस्त्र मंत्रालय की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स) पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम समाविष्ट हैं।

भारत सरकार (जी ओ आई) ने भारतीय वस्त्र उद्योग, जिसने औद्योगिक उत्पादन, रोज़गार एवं निर्यातों में उसके द्वारा दिए गए योगदान के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अनुपम स्थान प्राप्त किया, में प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से आधुनिकीकरण प्रयासों हेतु एक केन्द्र बिन्दु उपलब्ध कराने के लिए 1999–2000 में 'टफ्स' को आरंभ किया। योजना को बाद में 2007 (रूपान्तरित टफ्स/एम–टफ्स), 2011 (पुनर्गठित टफ्स/आर–टफ्स) तथा 2013 (संशोधित पुनर्गठित टफ्स/आर आर–टफ्स) में संशोधित किया गया।

योजना को जी ओ आई द्वारा निश्चित किए गए वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किया गया था तथा यह ब्याज प्रतिपूर्ति, पूंजी राजसहायता एवं मार्जिन मनी राजसहायता के रूप में वस्त्र इकाईयों को लाभ प्रदान कराने हेतु एक प्रतिपूर्ति योजना थी। वस्त्र मंत्रालय ने 01 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2014 के दौरान टफ्स हेतु राजसहायता के रूप में ₹ 18,580.45 करोड़ निर्गत किये।

योजना की प्रकृति, पर्याप्त वित्तीय लागत तथा लाभार्थियों की बड़ी संख्या से यह एक महत्वाकांक्षी योजना बन गई थी। योजना के उद्देश्यों को पूरा कर लिया गया है इस आश्वासन को प्राप्त करने हेतु इस योजना की लेखापरीक्षा की गई।